

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

संख्या:- 9/स्था0 विविध-32/2013 का0...../सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में इस विभाग से याचना के आधार पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने के निमित्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अगले आदेश तक श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को तात्कालिक प्रभाव से विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना सं0-9/स्था0विविध-32/2013 का0-8953 दिनांक-12.10.2015 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

ह0/-

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-9/स्था0 विविध-32/2013 का0...../राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-9/स्था0 विविध-32/2013 का0...../राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव/विभागीय जन सूचना पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-9/स्था0 विविध-32/2013 का0.....10260...../राँची, दिनांक-.....5.12.16.....

प्रतिलिपि:- श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव